

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 138/2022 डा० प्र

1. हेमराज डा० वीर लाल बलार नि० लाडवास - 880 करेडा - 900

पार्थी.....

बनाम

1. जन्दा लाल पि० हरदेव बलार नि० लाडवास - 880 करेडा - 900

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 4/7/22

पार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाडवास पटवार हल्का लाडवास तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 811/904, आराजी नम्बर 3303/1, 3087, 3088 0-5059/2-0740/1-0119/1 कुल कित 3 रकबा 3.531.6 हैक्टियर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें पार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 4/7/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अगलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि पार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अर्देशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र पार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

पार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लाडवास पटवार हल्का लाडवास तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 811/904 आराजी नम्बर 3303/1, 3087, 3088 0-5059/2-0740/1-0119/1

कुल कित 3 रकबा 3.531.6 हैक्टियर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक जन्दा लाल को 1050/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस पार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पत्थरगढी कराने की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि पार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

2022/323

रकबा 3.0857 हैक्टियर भूमि स्थित है (ब) खाता सं० 904 आराजी नं० 3303/1 कुलकित 1 कुल रकबा 0.5059 (स) खाता सं० 390 आराजी नं० 3275/2773, 3303/2773 कित 2 कुल रकबा 0.3794 हैक्टियर भूमि स्थित है।